न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री नरेन्द्र कुमार मीना, आर ए एस

प्रार्थना पत्र संख्या :– 80/2016

उनवान

1. हनुमान पुत्र काना जाति जाट निवासी वार्ड नं0 25 शाहपुरा जिला जयपुर ।

वादी

बनाम

1. सरजू पत्नि स्व0 बद्री
2. जयराम दत्तक पुत्र स्व0 बद्री
3. राजस्थान सरकार (भू–धारक) जरिये तहसीलदार शाहपुरा, जिला जयपुर।
4. उपपंजीयक, उपपंजीयक कार्यालय शाहपुरा जिला जयपुर।
5. सुरेश कुमार दत्तक पुत्र स्व0 बद्रीप्रसाद जाति जाट निवासी वार्ड नं0 25 शाहपुरा

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् तकास्मा (बंटवारा) एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत
दफा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम – 1955

निर्णय दिनांक 27.06.2019

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है। ग्राम शाहपुरा तहसील शाहपुरा के आराजी संख्या 2951, 2952, 2957, 2988, 2989, 2994, 2995, 3000, 3020, 3033, 3034, 3043, 3047, 3051, 3059, 3060, 3068, 3076 कुल किता 18 रकबा 3.27 है0 भूमि स्थित है। जिसमें वादी का हिस्सा 1/2 तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 5 का हिस्सा 1/2 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादी के द्वारा अपने कब्जे काश्त के अनुसार सरस नरस के हिसाब से उक्त शामलाती भूमि का बंटवारा करने हेतु यह वाद पत्र पेश किया है चूंकि प्रतिवादीगण द्वारा विशिष्ट भू भाग पर पुख्ता तामीर कर कब्जा करने के इरादा जाहिर होने से तथा वादी के हक व हिस्से से महरुम किये जाने के कारण अपनी शामलाती भूमि का बंटवारा किये जाने के कारण वाद पत्र पेश किया गया । वादी के द्वारा यह भी जाहिर किया गया कि वादी के भाई बद्री की मृत्यु होने पर प्रतिवादी सं0 2 को मृतक का दत्तक पुत्र की हैसियत से पगडी रस्म की गई थी तथा बद्री के कोई जायन्दा सन्तान नहीं होने से सं0 2 को पक्षकार बनाया गया है।

वादी के द्वारा वाद पत्र पेश किये जाने पर विधिवत दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण संख्या 5 की ओर से दोराने वाद विचाराधीन आदेश 1 रूल्स 10 सी पी सी प्रार्थना पत्र पेश किया कि प्रस्तुत प्रकरण में खातेदार काश्तकार होने के कारण पक्षकारान बनाया जावे जिस पर विधिवत सुनवाई की जाकर दिनांक 27.9.2017 को स्वीकार किया जाकर संशोधित टाईटल पेश किये जाने के आदेश पारीत होने पर प्रतिवादी सं0 1व 5 ने अपना जवाबदावा पेश किया कि प्रकरण प्रतिवादी सं0 2 का कोई लेना देना नहीं है, वादी के द्वारा जान बूझकर प्रतिवादी सं0 2 को बदनियति पूर्वक मिलिभगत करके प्रतिवादी सं0 1 व 5 के हक अधिकार की भूमि को [illegible]

दफा—53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम — 1955

निर्णय दिनांक 27.06.2019

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है। ग्राम शाहपुरा तहसील शाहपुरा के आराजी संख्या 2951, 2952, 2957, 2988, 2989, 2994, 2995, 3000, 3020, 3033, 3034, 3043, 3047, 3051, 3059, 3060, 3068, 3076 कुल किता 18 रकबा 3.27 है0 भूमि स्थित है। जिसमें वादी का हिस्सा 1/2 तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 5 का हिस्सा 1/2 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादी के द्वारा अपने कब्जे काश्त के अनुसार सरस नरस के हिसाब से उक्त शामलाती भूमि का बंटवारा करने हेतु यह वाद पत्र पेश किया है चूंकि प्रतिवादीगण द्वारा विशिष्ट भू भाग पर पुख्ता तामीर कर कब्जा करने के इरादा जाहिर होने से तथा वादी के हक व हिस्से से महरूम किये जाने के कारण अपनी शामलाती भूमि का बंटवारा किये जाने के कारण वाद पत्र पेश किया गया। वादी के द्वारा यह भी जाहिर किया गया कि वादी के भाई बद्री की मृत्यु होने पर प्रतिवादी सं0 2 को मृतक का दत्तक पुत्र की हैसियत से पगडी रस्म की गई थी तथा बद्री के कोई जायन्दा सन्तान नहीं होने से प्रतिवादी सं0 2 को पक्षकार बनाया गया है।

वादी के द्वारा वाद पत्र पेश किये जाने पर विधिवत दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण संख्या 5 की ओर से दोराने वाद विचाराधीन आदेश 1 रूल्स 10 सी पी सी प्रार्थना पत्र पेश किया कि प्रस्तुत प्रकरण में खातेदार काश्तकार होने के कारण पक्षकारान बनाया जावे जिस पर विधिवत सुनवाई की जाकर दिनांक 27.9.2017 को स्वीकार किया जाकर संशोधित टाईटल पेश किये जाने के आदेश पारीत होने पर प्रतिवादी सं0 1व 5 ने अपना जवाबदावा पेश किया कि प्रकरण प्रतिवादी सं0 2 का कोई लेना देना नहीं है, वादी के द्वारा जान बूझकर प्रतिवादी सं0 2 को बदनियति पूर्वक मिलिभगत करके प्रतिवादी सं0 1 व 5 के हक अधिकार की भूमि को जबरन नाजायज रूप से हडप करने के लिए गलत मनगघन्त तथ्य अंकित किये है प्रतिवादी सं0 2 वादी का जायन्दा पुत्र है तथा प्रतिवादी सं0 1 सरजू देवी व उसके पति मृतक बद्री प्रसाद ने कभी भी प्रतिवादी सं0 2 को गोद नहीं लिया है बल्कि प्रतिवादी सं0 5 को अपना दत्तक पुत्र ग्रहण यिा है जिसके संबंध मं मृतक बद्री द्वारा प्रतिवादी सं0 5 को गोद लेने के संबंध में एक रजिस्ट्रर्ड गोदनामा दिनांक 15.7.2013 को पंजीकृत करवाया गया है जिसके सम्बन्ध में

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

... प्रति भी पेश की । प्रतिवादी सं0 5 के नाम भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुकी है ... तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट से भी प्रमाणित होती है तथा प्रतिवादी सं0 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहा है, इससे स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी सं0 5 की बद्री का दत्तक पुत्र है तथा प्रतिवादी सं0 2 का प्रश्नागत आराजी में कोई लेना देना नहीं है। उक्त जवाबदावा पेश होने पर पक्षकारान ने राजीनामा के आधार पर बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट मंगाये जाने पर सहमत होने पर आदेश दिनांक 31.1.2019 के द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार शाहपुरा से कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त की गई । तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त कुर्रेजात रिर्पोट पर वकील वादी के द्वारा आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश किया जाकर निवेदन किया कि कुरेजात रिपोर्ट एक पक्षीय तथा प्रतिवादीगण से मिलकर तैयार की गयी है जिसे खारिज किया जावे । वकील प्रतिवादी की ओर से उनके अधिवक्ता ने जवाब आपत्ति का पेश किया कि तहसीलदार शाहपुरा व अन्य अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा वादी व प्रतिवादीगण को सूचना देकर दोनों पक्षो की उपस्थिति में मौके पर जाकर कानूनी प्रावधानों की पूर्ण पालना करते हुए दोनो पक्षा की मौजूदगी में रास्ता आदि सुविधाओं को ध्यान में रखकर बटवारा कुर्रेजात रिर्पोट तैयार कर पेश की गई है। उक्त जवाब प्रार्थना पत्र की बहस हेतु उचित अवसर दिये जाने पर वकील प्रतिवादी ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए कुर्रेजात रिपोर्ट सही होना स्वीकार किया तथा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट दावा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया गया । वकील वादी के द्वारा आपत्ति कुर्रेजात रिपोर्ट प्रार्थना पत्र पर कोई बहस नहीं की जाकर वादी पत्र डिक्री किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई ।

अतः दावा मुताबिक तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अन्तिम डिक्री ... वादी/प्रतिवादीगण के निम्नानुसार बंटवारा कर पृथक पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है:—

1. **वादी हनुमान पुत्र काना रहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा शाहपुरा मुर्तहीर कौम जाट सा0 देह के नाम आराजी ख0नं0 3043 रकबा 0.37है0 , ख0नं0 3051 रकबा 0.04 है, ख0नं0 3076 रकबा 0.19 है, ख0नं0 3060 रकबा 0.12 है ख0नं0 3047 रकबा 0.23 है, ख0नं0 2988 रकबा 0.12 है ख0नं0 2989 रकबा 0.13 है ख0नं0 2994/1 रकबा 0.12 है, ख0नं0 2995/1 रकबा 0.11 है, ख0नं0 3034/2 रकबा 0.0350 है, ख0नं0 3033/2 रकबा 0.17 है कुल किता 11 रकबा 1.6350 है0 भूमि।**

2. **प्रतिवादीगण 1 व 5 सरजूदेवी पत्नि स्व0 बद्री, सुरेश कुमार पि0 मु0 बद्री रहिन राज0 मरूधर ग्रामीण बैंक शाखा शाहपुरा मुर्तहीन कौम जाट सा0 देह खातेदार के हिस्से में ख0नं0 2951 रकबा 0.18 है0 , ख0नं0 2952 रकबा 0.16 है, ख0नं0 3000 रकबा 0.15 है, ख0नं0 3020 रकबा 0.15 है ख0नं0 3052 रकबा 0.23 है, ख0नं0 3068 रकबा 0.12 है ख0नं0 2957 रकबा 0.28 है ख0नं0 2995/2 रकबा 0.08 है, ख0नं0, ख0नं0 3034/1 रकबा 0.0250 है, ख0नं0 3033/1 रकबा 0.11 है ख0नं0 3033/3 रकबा 0.07 है0, व ख0नं0 2994/2 रकबा 0.08 है0 कुल किता 12 रकबा 1.6350 है0 भूमि हिस्से मे रहेगी ।**

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। वादी /प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे कास्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें । पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.06..2019 को सरे इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

...स्वीकार किया तथा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट दावा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया गया । वकील वादी के द्वारा आपत्ति कुर्रेजात रिपोर्ट प्रार्थना पत्र पर कोई बहस नहीं की जाकर वादी पत्र डिक्री किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई ।

अतः दावा मुताबिक तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अन्तिम डिक्री वादी/प्रतिवादीगण के निम्नानुसार बंटवारा कर पृथक पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया

1. वादी हनुमान पुत्र काना रहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा शाहपुरा मुर्तहीर कौम जाट सा0 देह के नाम आराजी ख0नं0 3043 रकबा 0.37है0 , ख0नं0 3051 रकबा 0.04 है, ख0नं0 3076 रकबा 0.19 है, ख0नं0 3060 रकबा 0.12 है ख0नं0 3047 रकबा 0.23 है, ख0नं0 2988 रकबा 0.12 है ख0नं0 2989 रकबा 0.13 है ख0नं0 2994/1 रकबा 0.12 है, ख0नं0 2995/1 रकबा 0.11 है, ख0नं0 3034/2 रकबा 0.0350 है, ख0नं0 3033/2 रकबा 0.17 है कुल किता 11 रकबा 1.6350 है0 भूमि।

2. प्रतिवादीगण 1 व 5 सरजूदेवी पत्नि स्व0 बद्री, सुरेश कुमार पि0 मु0 बद्री रहिन राज0 मरुधर ग्रामीण बैंक शाखा शाहपुरा मुर्तहीन कौम जाट सा0 देह खातेदार के हिस्से में ख0नं0 2951 रकबा 0.18 है0 , ख0नं0 2952 रकबा 0.16 है, ख0नं0 3000 रकबा 0.15 है, ख0नं0 3020 रकबा 0.15 है ख0नं0 3052 रकबा 0.23 है, ख0नं0 3068 रकबा 0.12 है ख0नं0 2957 रकबा 0.28 है ख0नं0 2995/2 रकबा 0.08 है, ख0नं0, ख0नं0 3034/1 रकबा 0.0250 है, ख0नं0 3033/1 रकबा 0.11 है ख0नं0 3033/3 रकबा 0.07 है0, व ख0नं0 2994/2 रकबा 0.08 है0 कुल किता 12 रकबा 1.6350 है0 भूमि हिस्से मे रहेगी ।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। वादी /प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे कास्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें । पर्चा डिक्रि जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.06..2019 को सरे इजलास सुनाया गया । पत्राबली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

([illegible] कुमार मीना)
उप जिला मजिस्ट्रेट
शाहपुरा जिला जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान